लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, दुगड्डा के माह 05/2013 से 07/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा सर्व श्री भीम सेन सिंह, मनोज खंडुड़ी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री अक्षय रूडोला, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03/09/2016 से 12/09/2016 तक श्री दिनेश रमोला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण दिनांक 03/09/2016 से 12/09/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत संपादित लेखापरीक्षा का निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या सिंचाई खण्ड, दुगड्डा द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहारादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावना:-

इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री भीम सेन सिंह, दीपक मालवीय एवं राजेश कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15/05/2013 से 18/05/2013 तक श्री सी. एस. बोहरा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 15/05/2013 से 18/05/2013 तक में सम्पन्न हुई थी जिसमे खण्ड के माह 10/2011 से 04/2013 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2013 से 08/2016 तक के लेखाभिलेखों की समान्यतया जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं ने खण्ड का कार्यभार संभाले रखा।

1- श्री हर्ष कुमार कटियार - विगत लेखा परीक्षा से 06.09.2014 तक
2- श्री सुनील कुमार - 06.09.2014 से 29.06.2015 तक
3- श्री कमल सिंह - 29.06.2015 से वर्तमान तक

3. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे:-

1- श्री बलदेव राम - विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा के पश्चात दिनांक 20.03.2015 से 21.03.2015 तथा 10.02.2016 से 11.02.2016 तक खण्ड का निरीक्षण नहीं किया गया।

5- खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमश: माह 09/2015 एवं माह 09/2015 तक की गई।

6- फार्म 51: माह 03/2016 तक कार्यालय महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-

भाग प्रथम ` 6976016.00

भाग द्वितीय ` 579760.00

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 07/2016 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 3003334.00
(ख) सामग्री क्रय परिशोधन शून्य
(ग) नकद परिशोधन शून्य
(घ) निक्षेप ` 20410004.00
(ड) भण्डार ` (-) 1425416.00

7- पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति मिम्नवत थी:-

dze la[;k	ys[kkijh{kk fujh{k.k izfrosnu la0@o"kZ	vfuLrkfjr izLrj	
		Hkkx&nks ^v*	Hkkx&nks ^c*
1.	58/2004-05	1, 2	-
2.	54/2005-06	1(a),(b)	1
3.	70/2006-07	-	1
4.	49/2008-09	1	-
5.	08/2009-10	-	तीन 'ख' प्रस्तर 1, 2, 3
6.	34/2010-11	1, 2 (भाग तीन 'अ')	-
7.	18/2013-14	-	1

8. अप्रस्तुत अभिलेख:- शून्य

9. सतत अनियमिततायें:- शून्य

10. गत तीन वर्षों में प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

dze la[;k	o"kZ	eq[; ys[kk'kh"kZ	dqy vkoaVu ¼` yk[k esa½	dqy O;; ¼` yk[k esa½
1-	2013-14	AIBP	98.02	99.65
		4700	63.70	63.68
		4711	372.25	372.48
		2701	31.50	31.89
		2702	41.25	41.20
		2711	28.00	28.46
2-	2014-15	AIBP	456.09	456.37
		4700	16.78	16.41
		4711	590.75	587.43
		2701	26.20	26.15
		2702	81.00	81.18
		2711	24.60	24.68
3-	2015-16	AIBP	73.27	74.37
		4700	60.32	60.32
		4711	158.55	159.03
		2701	103.49	103.54
		2702	77.57	77.57
		2711	40.18	40.18
		4059	136.87	136.01

भाग-2(ब)

प्रस्तर: 1 : कार्य की लागत में ` 26.31 लाख की अनुचित वृद्धि।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड दुगड्डा में खो नदी पर ग्रास्टगंज, गाड़ीघट एवं काशीराम ग्राम की बाढ़ से सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण योजना हेतु ` 391.20 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान (दिसम्बर 2010) की गई थी। उक्त कार्य निष्पादन हेतु अधिशासी अभियंता द्वारा ` 97.85 लाख की आंशिक तकनीकी स्वीकृति प्रदान (जनवरी 2011) की गई थी। तत्पश्चात मुख्य अभियंता द्वारा द्वारा वर्ष 2013-14 में ` 391.20 लाख की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान (मार्च 2014) की गई थी।

अधिशासी अभियंता (अ.अ.), सिंचाई खण्ड, दुगड्डा के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2016) में पाया गया कि खंड द्वारा शासन से कुल ` 391.20 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वर्ष 2010-11 में आंशिक कार्य हेतु ही कुल ` 97.85 लाख की लागत का ही विस्तृत आगणन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई। तत्पश्चात वर्ष 2013-14 में कुल स्वीकृत लागत ` 391.20 लाख, ` 60.00 लाख पुरानी दर से एवं ` 331.20 लाख नई दर से, पुनरीक्षित विस्तृत आगणन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई। यदि खंड द्वारा वर्ष 2010-11 में ही स्वीकृत धनराशि ` 391.20 लाख का विस्तृत तैयार कर दिया गया होता तो निम्न विवर्णानुसार कुल ` 26.31 लाख की लागत वृद्धि से बचा जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में संबन्धित कार्य पर मात्र ` 70.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसपर ग्रामवासियों को तत्कालीन सुविधा/सुरक्षा प्रदान करने हेतु ` 97.85 लाख का आगणन स्वीकृत किया गया था। बाद में सक्षम अधिकारी को प्रेषित आगणन में उपरोक्त संपादित कार्य को सम्मिलित

Sl. No	Particulars of items	Rate as per year 2010-11	Rate as per year 2013-14	Difference in rates	Quantity as per revised estimate	Amount
1	Earthwork in excavation of foundation	60.00	162.30	102.30	3784.30	387133.90
2	CC 1:4:8 with cement, coarse sand and 20-40mm stone	3237.00	3108.10	-128.90	1382.96	-178264.00
3	RR dry stone masonry	1403.00	914.00	-489.00	951.97	-465513.00
4	CC 1:3:6 with cement, coarse sand & 16-22.4mm single	3494.00	3943.80	449.80	4882.50	2196149.00
5	Hand packed stone filling	909.00	1195.40	286.40	552.24	158161.50
6	Flush cement pointing 1:3	66.50	47.90	-18.60	2714.84	-50496.00
7	Centering and shuttering	32.00	260.30	228.30	2559.00	584219.70
Total						**2631391.10**

करते हुए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गयी थी। खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं था क्योंकि एक ही कार्य को अलग अलग दरों पर निष्पादित कराया जाना अनुचित था।

अतः कार्य की लागत में ` 26.31 लाख की लागत वृद्धि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर: 2: ` 9.82 लाख की विभागीय प्राप्तियों को शासकीय राजस्व खाते में जमा न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-V खंड-I के प्रस्तर 21 एवं उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय 9 के प्रस्तर 81 एवं 82(iii) में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय प्राधिकारी द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि सरकार को देय सभी राजस्व प्राप्तियों को सही एवं उचित तरीके से निर्धारित कर बिना किसी बिलंब के शासकीय खाते में डाली जाए एवं इस प्रकार की प्राप्तियां सरकार से प्राधिकरण प्राप्त किए बिना विभागीय व्यय के रूप में उपयोग न की जाए।

अधिशासी अभियंता (अ.अ.), सिंचाई खण्ड, दुगड्डा के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2016) में पाया गया कि खण्ड के प्रपत्र-79 (जुलाई 2016) के अनुसार में खण्ड के पास निम्न विवरणानुसार रायल्टी, राजस्व एवं स्टांप ड्यूटी के रूप में कटौती की गयी कुल धनराशि ` 981662.00 विगत 10 वर्षों से निक्षेप के रूप मे भाग-V में पड़ी हुई थी।

क्र.सं.	विवरण	धनराशि
1	रॉयल्टी	521364.00
2	राजस्व	452126.00
3	स्टांप ड्यूटी	8172.00
	योग	**981662.00**

उपरोक्त के संदर्भ में इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त धनराशियों को जमा करने हेतु मुख्य अभियंता से धन की मांग की गयी है। आबंटन प्राप्त होने पर धनराशि समायोजित कर दी जाएगी। खण्ड द्वारा मुख्य अभियंता से धन की मांग करना तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निक्षेप पंजिका में उक्त धनराशी रायल्टी, स्टांप ड्यूटी एवं राजस्व की वसूली के रूप में पड़ी थी जिन्हें नियमानुसार शासकीय खाते मे जमा किया जाना चाहिए था।

अतः ` 9.82 लाख की विभागीय प्राप्तियों को शासकीय राजस्व खाते में जमा न किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, दुगड्डा** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II